भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3487
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

अधिवक्ता अधिनियम, 1961

3487. श्री बी. के. श्रीकंदन :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार का विचार अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या प्रस्तावित संशोधन विधिक समुदाय के समक्ष आने वाले प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करने में विफल रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित संशोधनों से उत्पन्न आशंकाओं को दूर करने के लिए विधिक समुदाय के साथ विचार- विमर्श किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श का अनुसरण करते हुए तथा अनुसंधान के माध्यम से, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 का प्रारूप लोक परामर्श के लिए 13 फरवरी 2025 को विधि कार्य विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, जो 28 फरवरी 2025 तक खुला था।

(ख) और (ग) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य विधिक वृत्ति को आधुनिक बनाना, उसकी सुगम्यता बढ़ाना और तेज़ी से विकसित हो रहे विश्व में उसकी सतत् सुसंगतता सुनिश्चित करना है, जिससे वृत्ति को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित किया जा सके। व्यापक श्रेणी के सुझाव, विशिष्टतया विधिक समुदाय से प्राप्त हुए हैं। इन चिंताओं की प्रतिक्रिया में, परामर्श प्रक्रिया समाप्त हो गई है और एक पुनरीक्षित विधेयक को लोक परामर्श के लिए नए सिरे से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विधिक बिरादरी से इनपुट भी शामिल होंगे ।मंत्रालय भी विधिक बिरादरी को शामिल करने की अपनी प्रतिबद्धता के रूप में अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1961 में संशोधन की पूरी प्रक्रिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है ।

****